पत्रिकाओं में छपने योग्य

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील संख्या 108/2012

गुना महतो ... **अपीलार्थी**

बनाम

झारखंड राज्य ... **उत्तरदाता**

निर्णय

संजय करोल, न्याया.

1. यह आपराधिक अपील अपीलकर्ता गुना महतो द्वारा दायर की गई है। विद्वान विचारण न्यायालय, डाल्टनगंज द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के तहत के सत्र विचारण वाद सं. 50/1989, राज्य बनाम गुना महतो में दिनांक 10.05.2001 के निर्णय के द्वारा उसे अपनी पत्नी श्रीमती देवमतिया देवी की हत्या का उसे दोषी ठहराया गया है। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

2. अपील करने पर झारखंड उच्च न्यायालय ने आपराधिक अपील संख्या 214/2001, गुना महतो बनाम झारखण्ड राज्य में आक्षेपित निर्णय दिनांक 23.07.2004 के द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि और सजा के संबंध में दिए गए आदेशों की पुष्टि कर दी। उच्च न्यायालय ने यह देखते हुए भी ऐसा किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा अनुसंधान अधिकारी का परीक्षण नहीं कराया गया था। उच्च न्यायालय ने बनौधी महतो (अभियोजन साक्षी सं. -2), समोधी यादव (अभियोजन साक्षी सं. -9) और नंदीश यादव (अभियोजन साक्षी सं. -10) के साक्ष्य पर पूरा-पूरा भरोसा किया।

3. इस पर अपीलकर्ता गुना महतो द्वारा यह अपील दायर की गई है।

4. अभियोजन का पक्ष यह है कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद इस अपराध से संबंधित सबूतों को विलोपित करने के इरादे से उसके शव को गांव के कुएं में फेंक दिया। बाद में, अभियुक्त ने झूठी कहानी गढ़कर पुलिस से संपर्क किया, और अपनी पत्नी के 'लापता' होने की सूचना दी।

5. दिनांक 13.08.1988 को मृतका का शव गांव के कुएं में पाया गया। फिर यह मामला पुलिस के संज्ञान में लाया गया और थाना काण्ड सं. 35/1988 (प्रदर्श-पी -3) मनिका थाना, झारखंड में दर्ज किया गया। तदनुसार, अनुसंधान किया गया और विचारण के लिए अदालत के समक्ष चालान पेश किया गया। अभियोजन पक्ष ने दस गवाहों का परीक्षण कराया, जिनमें से मुरारी राम (अभियोजन साक्षी सं.-1), मिठू प्रसाद साहू (अभियोजन साक्षी सं.-4), मुसाफिर यादव (अभियोजन साक्षी सं.-5), मुन्नी मिस्त्री (अभियोजन साक्षी सं.-6), चितरंजन पांडेय (अभियोजन साक्षी सं.-8) और सुखरू

महतो (अभियोजन साक्षी सं.-7) के साक्ष्य महज औपचारिक प्रकृति के हैं। उनकी गवाहियों पर अलग-अलग अथवा एक साथ विचार करने भी पर हम पाते हैं कि ये अभियुक्त के अपराध की ओर कुछ भी संकेत नहीं करते।

6. इससे पहले कि हम इस मामले के गुण-दोष पर विचार करें, हम अभी उन तथ्यों का उल्लेख करना उचित समझते हैं जो विवादित नहीं हैं: (क) मृतका की पहचान, (ख) मृतका का शव गांव के कुएं से बरामद किया जाना, (ग) डॉ नरेंद्र कुमार मिसर (अभियोजन साक्षी सं. -3) द्वारा तैयार की गई अंत्यपरीक्षण रिपोर्ट, जिसमें मौत का कारण मृतका की गर्दन पर चोट, रक्तस्राव तथा सदमा बताया गया है।

7. आपराधिक न्यायशास्त्र का स्थापित सिद्धांत है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के इर्द-गिर्द घूमने वाले मामले में, अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के अपराध को संदेह से परे साबित करना होता है और जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया जाये, वे केवल एक ही बात की ओर संकेत करें, और वह है- अभियुक्त का अपराध और कुछ भी नहीं। इस न्यायालय ने कई बार उन आवश्यक शर्तों का निर्देश किया है, जिनका परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी अभियुक्त की दोषसिद्धि से पहले पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। **शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 एससीसी 116** के ऐतिहासिक मामले में इसे निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :

> "153. इस निर्णय का बारीकी से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि किसी अभियुक्त के खिलाफ मामले को पूरी तरह

से सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए :

(1) जिन परिस्थितियों के आधार पर दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से सिद्ध किया जाना चाहिए।

यहां ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय ने इंगित किया है कि संबंधित परिस्थितियों को "सिद्ध किया जाना चाहिए" न कि "सिद्ध किया जा सकता है"। इसमें केवल व्याकरण का अंतर नहीं है बल्कि "सिद्ध किया जाना चाहिए" और "सिद्ध किया जा सकता है" के बीच कानूनी अंतर भी है, जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी सहाबराव बोबड़े बनाम भारत सरकार के मामले में अभिनिर्धारित किया था। महाराष्ट्र राज्य [(1973) 2 एससीसी 793: 1973 एससीसी (क्रि.) 1033: 1973 क्रि. एलजे 1783] जहां टिप्पणी की गई : [एससीसी पैरा 19, पृ. 807: एससीसी (क्रि.) पृ. 1047]

"निश्चय ही यह प्राथमिक सिद्धांत है कि अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले अभियुक्त को दोषी 'होना ही चाहिए' केवल इतना पर्याप्त नहीं है कि दोषी 'हो सकता है'। 'होना ही चाहिए' और 'हो सकता है' के बीच समझ का बहुत फर्क है। इससे अस्पष्ट अनुमानों और निश्चित निष्कर्षों का अंतर भी स्पष्ट होता है।

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात् अभियुक्त दोषी है, इसके अतिरिक्त अन्य परिकल्पना के आधार पर तथ्यों की व्याख्या नहीं होनी चाहिए।

(3) परिस्थितियों की प्रकृति और प्रवृत्ति निर्णायक होनी चाहिए,

(4) वे दोष सिद्ध करने की परिकल्पना को छोड़कर हर संभव परिकल्पना को खारिज करती हों, और

(5) सबूतों की पूरी श्रृंखला होनी चाहिए ताकि अभियुक्त की बेगुनाही के लिए कोई उचित आधार न बचे और यह प्रदर्शित होना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं के आधार पर यह काम अभियुक्तों ने ही किया है।

8. इस मामले में, जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, अनुसंधान अधिकारी का परीक्षण नहीं कराया गया। हम पाते हैं कि अभियुक्त द्वारा साक्ष्य को विलोपित करने के तथ्य से संबंधित कोई साक्ष्य, चश्मदीद या दस्तावेजी प्रमाण नहीं है कि उसने अपनी ही पत्नी की हत्या के संबंध में खुद पर मुकदमा चलाने से रोकने के लिए पुलिस को सूचना दी।

9. जब हम मृतका के पिता बनौधी महतो (अभियोजन साक्षी सं. -2) के साक्ष्य का अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने अपराध के संबंध में अभियुक्त के खिलाफ

कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि शव के बरामद होने से दो दिन पहले, अभियुक्त के पिता ने उन्हें बताया था कि मृतका किसी के साथ भाग गई है। लेकिन किसके साथ? वे नहीं बताते। वे स्वीकार करते हैं कि मृतका और अभियुक्त एक साथ रह रहे थे और जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी घर नहीं लौटी है, तो उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई।

10. ग्राम मारन में ही रहने वाले मृतका के चाचा समोधी यादव (अभियोजन साक्षी सं. -9) ने केवल यह बताया है कि (उसी गांव के) राम बृजेश यादव ने उन्हें सूचित किया कि उनकी बहू (मृतका) गांव (मारन) में रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ भाग गई है। उन्हें इस बात पर संदेह हुआ और इसलिए वे मृतका के ससुराल जान्हो गांव गये। वहां उन्हें पता चला कि पिछली संध्या से ही मृतका को किसी ने नहीं देखा है। मृतका का शव तभी खोजा जा सका, जिस दिन गांव के कुएं से उसका शव बरामद हुआ। उन्होंने अपना संदेह इस प्रकार व्यक्त किया है, "... अभियुक्त ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद उसे कुएं में फेंक दिया था। यही एकमात्र बयान है जो उन्होंने अभियुक्त के खिलाफ दिया था। लेकिन उनकी इस जानकारी का स्रोत क्या है, वे नहीं बताते। किसी भी घटना में इस तरह के साक्ष्य केवल सुनी-सुनाई बातों पर आधारित होते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं और ये अपुष्ट भी होते है। हालांकि, यह भी महत्वपूर्ण है कि वे स्वीकार करते हैं कि अभियुक्त ने पहले ही पुलिस को मामले की सूचना दी थी और अपीलकर्ता के खिलाफ मृतका के साथ दुर्व्यवहार का कोई मामला भी दर्ज नहीं किया गया था।

11. हमारी समझ से, अभियोजन साक्षी सं. -2 के ममेरे भाई के बेटे नंदीश यादव (अभियोजन साक्षी सं. -10) द्वारा दी गई गवाही का भी अभियोजन पक्ष के मामले को पुष्ट करने या सिद्ध करने में कोई योगदान नहीं है। उन्होंने केवल इतना कहा है कि, "हमें अभियुक्त की भूमिका पर संदेह था" क्योंकि वह अकसर उसे पीटता था। आगे कहा है कि ये बातें उन्हें ग्रामीणों ने बताई थीं। हम पाते हैं कि यह बयान सुनी-सुनाई बातों पर आधारित तो है ही, कथित क्रूरता के समय, स्थान और तरीके के संबंध में अनिश्चित और अस्पष्ट है। इसी तरह के आरोपों के आधार पर उन्हें संदेह हुआ कि अभियुक्त ने मृतका की हत्या की है। गौरतलब है कि ये तथ्य साक्षी के प्रतिपरीक्षण के दौरान अदालत में पहली बार पेश किए गए हैं और जैसा कि हमने अभियोजन साक्षी सं.-9 के साक्ष्य में पाया है कि दुर्व्यवहार की कोई शिकायत कभी किसी से नहीं की गई। इसलिए, अभियोजन पक्ष का मामला प्रमाणित नहीं होता।

12. विचारण न्यायालय ने अपने फैसले में अभियुक्त को दोषी ठहराते समय, अभियोजन साक्षी सं. -9 के बयान और अनुसंधान अधिकारी के कथित बयान पर बहुत अधिक भरोसा किया, जिसे यूडी प्रदर्श कहा जाता है, जिसे प्रदर्श- 3/1 के रूप में चिह्नित किया गया है। उक्त निर्णय में संबंधित मंतव्य इस प्रकार हैं :

> 'अंत्यपरीक्षण प्रतिवेदन से पता चलता है कि मृतका की मौत डूबने से नहीं हुई थी। अभियोजन साक्षी सं.-9 और आई.ओ. के साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि जब मृतका लापता हो गई, तो अगले दिन ग्रामीणों ने झगर के माध्यम से उक्त कुएं में उसके मृत शरीर की खोज करने की कोशिश

की, लेकिन नहीं मिला और अगले दिन शव उसी कुएं में पाया गया। इसलिए, इन तथ्यों से संकेत मिलता है कि मृतका ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी और उसके मृत शरीर को कुएं में फेंक दिया गया था और अभियुक्त का फर्दबयान कि मृतका की मौत आत्महत्या करने के कारण हुई है, अधिसंभाव्य प्रतीत नहीं होता है।

13. इसी प्रकार, उच्च न्यायालय ने भी अभियुक्त के अपराध के तथ्य पर पहुंचने में मुख्य रूप से यूडी पर अपने निष्कर्षों को आधार बनाया। अदालत ने विचार किया कि :

'चिकित्सकीय साक्ष्य बताते हैं कि अंत्यपरीक्षण से 48-96 घंटे पहले मौत हो चुकी थी। मृतका के शरीर का अंत्यपरीक्षण 14 अगस्त, 1988 को अपराह्न लगभग 3 बजे किया गया था। चिकित्सकीय साक्ष्य के अनुसार, यदि गणना की जाए तो मृतका की मृत्यु 12 अगस्त, 1988 (लगभग 3 बजे) और 10 अगस्त, 1988 (लगभग 3 बजे) के बीच हुई। यही कारण है कि आई.ओ. को संदेह था कि अंत्यपरीक्षण से कम से कम दो दिन पहले मृतका की हत्या कर दी गई थी। शव मिलने की तारीख से कम से कम एक दिन पहले, उसकी हत्या कर दी गई और उसके शव को कुएं में फेंक दिया गया।

14. यह इस पृष्ठभूमि में है कि अनुसंधान अधिकारी का परीक्षण नहीं कराया जाना महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अनुसंधान अधिकारी उपलब्ध नहीं थे अथवा जिस जांच के तथ्य और तरीके का बयान उनके सहयोगी ने दिया, वह उस भी अनुसंधान में शामिल था। अनुसंधान अधिकारी का परीक्षण नहीं कराए जाने के कारण, मौजूदा परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष का मामला अगर झूठा नहीं, तो संदेहास्पद तो हो ही जाता है। उनका परीक्षण कराए बिना आईपीसी की धारा 201 के तहत अपराध सिद्ध नहीं किया जा सकता।

15. निचली अदालतों ने अभियुक्त के अपराध संबंधी पूर्वानुमान वाली धारणा पर इस आधार कार्यवाही की कि उसे अंतिम बार मृतका के साथ देखा गया था और झूठी रिपोर्ट दर्ज की गई। यह भी ध्यान में नहीं रखा गया कि मृतका के पिता के बयान के अनुसार, अभियुक्त के पिता ने खुद उसे उसकी लापता बेटी के बारे में सूचित किया था, वह भी घटना से कम से कम दो दिन पहले। संदेह और शक किसी अभियुक्त के अपराध का आधार नहीं हो सकते। अभियुक्त को अपराध से जोड़ने वाली परिस्थितियां साबित भी नहीं होती हैं, संदेह से परे तो बिलकुल भी नहीं।

16. यहां इस बात पर जोर दिया जा सकता है कि 'संदेह' चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, वह केवल अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को संदेह से परे सिद्ध करने के लिए गढ़ी गई कहानी का केवल एक संदिग्ध घटक ही होता है। **[वेंकटेश बनाम कर्नाटक राज्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 765; शत्रुघ्न बबन मेश्राम बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2021) 1 एससीसी 596; पप्पू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2022) 10**

एससीसी 321]। उपरोक्त बातों को छोड़कर, कोई चश्मदीद, परिस्थितिजन्य या अन्य कोई सबूत नहीं है जो अभियुक्त के अपराध को सिद्ध कर सके। अभियुक्त को अपराध से जोड़ने वाला कोई तथ्य नहीं पाया गया है, जो अभियोजन पक्ष द्वारा संदेह से परे साबित करने में सक्षम सिद्ध हो रहा हो।

17. यह हमारा निर्धारित कर्तव्य है कि हम न्याय की हत्या हर कीमत पर रोकना सुनिश्चित करें और यदि कोई संदेह हो, तो उसका लाभ अभियुक्त को अवश्य दिया जाए। **[हनुमंत गोविंद नरगुंडकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1952) 2 एससीसी 71]।**

18. सामान्य सुनवाई में यह न्यायालय निचले दोनों न्यायालयों द्वारा तय किए गए एक ही निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करता है। ऐसा कुछ अपवाद स्वरूप मामलों में किया जाता है, जहां हम पाते हैं कि निष्कर्ष बेतुके हैं और जिससे न्याय का उपहास होता है। हमारा कर्तव्य है कि हम न्याय की हत्या न होने दें। **[रामफुपाल रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (1970) 3 एससीसी 474, बालक राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1975) 3 एससीसी 219, भोगिनभाई हिरजीभाई बनाम गुजरात राज्य, (1983) 3 एससीसी 217]।**

19. इस प्रकार, हमारे विचार में निचली अदालतों ने सबूतों की गलत और अधूरे विश्लेषण के आधार पर दोषसिद्धि का आदेश पारित करने में गंभीर गलती की है, जिससे अभियुक्त को गंभीर क्षति हुई है और न्याय का उपहास भी हुआ है।

20. उपरोक्त के मद्देनजर, हमें लगता है कि अपर सत्र न्यायाधीश-5, पलामू, डाल्टनगंज द्वारा सत्र विचारण वाद सं. 50/1989 में दिनांक 10.05.2001 को पारित दोषसिद्धि

और सजा का आदेश तथा झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा आपराधिक अपील सं 214/2001 (गुना महतो बनाम झारखण्ड राज्य) में दिनांक 23-07-2004 के आदेश द्वारा की गई उसकी पुष्टि में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

21. हम दोनों निचले न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करते हैं। चूंकि अपीलकर्ता पहले से ही जमानत पर है, इसलिए उसे जमानत-बंध पत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

22. अपील में की गई प्रार्थना स्वीकार की जाती है।

..... न्याया.

(बी.आर. गवई)

..... न्याया.

(संजय करोल)

दिनांक: 16 मार्च, 2023

स्थान: नई दिल्ली

अस्वीकरण : हिन्दी भाषा में अनूदित निर्णय का उपयोग इतना ही है कि वादी इसे अपनी भाषा में समझ सके। इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक कार्यों में तथा निष्पादन और कार्यान्वयन के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।